पत्रांक–2ब०/मु०श०ना०ग०यो०–30–01/2016 4548 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 16/3/16

विषयः– "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 2090, दिनांक– 21.03.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या– 1288, दिनांक– 25.02.2016 द्वारा शहरी क्षेत्र में हर घर तक पक्की गली–नालियों के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीरकण निश्चय योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रसंगाधीन विभागीय पत्रांक– 2090, दिनांक– 21.03.2016 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त विभागीय पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना की दीर्घकालीन कार्य योजना विहित प्रपत्र में तैयार करने का निदेश भी दिया गया था। यह भी निदेश दिया गया था कि कार्य योजना की पुस्तिका तैयार कर विभाग को प्रेषित की जाय। तत्पश्चात् उसे नगर निकाय के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय। अभी तक मात्र 30 नगर निकायों से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अत्यंत खेदजनक है।

राज्य के नगर निगमों एवं नगर परिषदों का "नगर सेवा" के अंतर्गत अपना वेबसाईट खुल चुका है, परन्तु नगर पंचायतों का अपना वेबसाईट नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनः निदेश दिया जाता है कि अपने नगर निकाय क्षेत्र में नाली–गली से संबंधित वार्डवार दीर्घकालीन योजना की पुस्तिका प्रसंगाधीन पत्र में दिये गये दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय। सभी नगर निगम तथा सभी नगर परिषद् द्वारा उक्त पुस्तिका को "नगर सेवा" के तहत खोले गये अपने वेबसाईट पर Upload किया जाय। साथ ही पुस्तिका की सॉफ्ट प्रति विभागीय email पर मेल कर दी जाय। उक्त दीर्घकालीन योजना को विभाग के वेबसाईट पर भी Upload किया जायेगा।

जिन नगर निकायों द्वारा दीर्घकालीन कार्य योजना की पुस्तिका तैयार कर विभाग को भेजते हुए अपने वेबसाईट पर Upload करने के साथ–साथ पुस्तिका की सॉफ्ट प्रति विभाग को Email कर दी जायेगी, वैसे नगर निकाय निम्नांकित कार्रवाई करेंगे :–

1. विभागीय वेबसाईट पर अपनी योजनाओं की संपुष्टि कर लेंगे।

2. तत्पश्चात् वैसे नगर निकाय पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा आवंटित राशि के न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि के समतुल्य योजनाओं का प्राथमिकतानुसार प्राक्कलन तैयार कर लेंगे।

3. तैयार प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त की जायेगी।

4. तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त योजना का सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के निविदा की कार्रवाई की जाय। विभागीय संकल्प सं०– 3557, दिनांक– 20.11.2014 के प्रावधान भी लागू रहेंगे।

6. तत्पश्चात् संबंधित योजनाओं का पंचम् राज्य वित्त आयोग की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि से नियमानुसार कार्यारम्भ किया जाय।

7. योजनाओं का कार्यारम्भ होने के पश्चात् उसकी सूचना विभाग को दी जाय। विभाग द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए अलग से एक प्रपत्र जारी किया जायेगा। उक्त प्रपत्र में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसे भी विभागीय वेबसाईट पर Upload किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निदेश के आलोक में अविलम्ब कार्रवाई आरम्भ की जाय।

विश्वासभाजन,

15/7/2016

सरकार के प्रधान सचिव।